रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237642
CG-DL-E-28072022-237642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
No. 532]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 605(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, हेड कांस्टेबल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धती, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि – भर्ती की पद्धती, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हेड कांस्टेबल	25* (2022) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) टिप्पण : अधिकारी कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर भारत में कहीं भी तैनात होने के लिए उत्तरदायी होगा।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100/-रूपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा (iii) 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (1) ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र, वन और वन्यजीव विभाग, पुलिस बल जिसके अंतर्गत केंद्रीय अर्ध–सैनिक बल या केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी हैं, में नियमित आधार पर वेतन स्तर-4 (25,500-81,100/- रूपये) में सदृश पद धारण किए हुए हों। **अथवा** ऐसे अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र, वन और वन्यजीव विभाग, पुलिस बल जिसके अंतर्गत केंद्रीय अर्ध–सैनिक बल या केंद्रीय पुलिस संगठनों, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आरक्षी (कांस्टेबल) या सदृश पद पर वेतन स्तर -3 (21,700-69100/- रूपये) में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। **और** (II) जिसके पास आसूचना, प्रवर्तन या अन्वेषण में दो वर्ष का अनुभव हों । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी। **आमेलन :** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को उनके काडर नियंत्रण प्राधिकरण से स्पष्ट सहमति अभी प्राप्त करने के पश्चात आमेलित किया जाएगा। **प्रोन्नति :** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में सेवारत कांस्टेबल को स्तर -3 (21,700-69100/- रूपये) में 5 वर्ष पूरा करने के पश्चात हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नत किया जाता है	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो.........अध्यक्ष (ii)उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो.........सदस्य (iii) अवर सचिव (एफ ई) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय........सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 9-2/2022-एफई]

रमेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable in the Wildlife Crime Control Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Wildlife Crime Control Bureau, Head Constable (Group 'C') Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the post, classification and level in the pay matrix. – The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Head Constable.	25* (2022) (*Subject to variation dependent on workload.) **Note:** The officer shall be liable to be deployed anywhere in India depending on operational needs.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 80 *percent* by deputation. (ii) 15 *percent* by deputation/ absorption. (iii) 5 *percent* by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (i) Holding analogous posts in Pay Level-4 (Rs. 25,500 – 81,100/-) on regular basis in the Central Government or State Government or Union territory, Forest and Wildlife Department, Police Forces including Central Para-Military Forces or Central Police Organisations, Railway Protection Forces, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau. OR having completed five years of service in the grade pay Level-3 (Rs. 21,700 – 69100), on the post of Constable or analogues in the Central Government or State Government or Union territory, Forest and Wildlife Department, Police Forces including Central Para-Military Forces or Central Police Organisations, Railway Protection Forces, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau. AND (ii) having two years of' experience in intelligence, enforcement or investigation. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations of department of the Central Government shall not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be fifty-six years. **Absorption:** The officers on deputation in Wildlife Crime Control Bureau shall be absorbed after obtaining express consent from their Cadre Controlling Authority **Promotion:** The Constable serving in Wildlife Crime Control Bureau is promoted to Head Constable after completion of 5 years in level – 3 (Rs. 21,700 – 69100).	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of - (i) Joint Director/Deputy Director, Wildlife Crime Control Bureau -------- Chairman (ii) Deputy Director/Assistant Director, Wildlife Crime Control Bureau -------- Member (iii) Under Secretary (FE) from the Ministry of Environment Forest & Climate Change ------- Member	Not applicable.

[F. No. 9-2/2022-FE)

RAMESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA